

18/01/24

प्रावली पेश हुई, आर्यो वाडीगाण उपरिचय। आर्यो प्रति 1
ता 6/1, 6/5, 9, 10 उपरिचय। प्रति 08 के आर्यो उपरिचय। आर्यो
वाडीगाण, के प्रो पर पस आ RTA की withdraw करन
और further कोई अपवादी/अनुतोष नही चाहते हेतु
निवेदन किया जिस पर आर्यो प्रति क्रम। ता 5, 6/1 से 6/
9 व 10 एवं आर्यो प्रति 08 ने कोई अपवादी पेश न करती
सहमति दी है। अतः चापहित से प्राचीणिण/वाडीगाण का
withdrawal application को इस अर्थ पर लीटा दिया


~~...~~
S. K. Singh
उपनिवेश
पेश कर
022340
23/01/24
कर्मचारी

~~...~~

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जाता है कि नै अविद्य में same cause of action
है नु कोई प्राण पत्र 4/5 212 RTA R.W. 039 Rule 132
CPC पेशा नहीं करेगा। प्रकरण इसी स्तर पर कार्यवाही
(withdraw) कर लम्बर से काम नरके दायवेल
रफ्तार की जाती है।


08/01/24

आखण्ड अधिकारी
मगधार (झालावा)